श्री रामविलास पासवान—जारी

के लिए इस बहादुरी के काम के लिए उसको वीर पुरुष का या बहादुरी का तगमा दे सकते हैं लेकिन अन्ततोगत्वा इस तरह की बात से राष्ट्र विरोधी तत्वों का बढ़ावा ही मिलता है और राष्ट्र को तोड़ने में यह चीज सहायक सिद्ध होती है । अगर कुछ लोगों के दिमाग में यह बात है कि अपहरण करना वीरता का काम है तो मैं इसको वीरता का काम नहीं समझता हूं । कोई कितना बड़ा आदमी भी क्यों न हो, कितने बड़े पद पर वह क्यों न हो, जो इस तरह का काम करता है उसके सम्बन्ध में हमें दूसरे मुल्कों में भी वातावरण इस तरह का बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ भी वही सलूक हो जो दूसरे ऐसे तत्वों के साथ होता है । दूसरे सदन में भी यह मामला आया था । कोई हवाई जहाज उड़ा भारत की भूमि से और हाईजैक हुआ पाकिस्तान की भूमि पर और फिर उसके बाद उतरा जा कर लंदन की भूमि पर फिर किस देश के कानून के तहत कार्रवाई होगी । जहां उतरेगा उस देश का कानून ही लागू होगा । मैं चाहता हूं कि हम जनमत तैयार करें कि इस तरह का जो काम करता है चाहे किसी भी देश का आदमी करे, जो हाईजैकर है, वह कलप्रिट है, हत्यारा है इसलिए किसी भी सरकार का यह नैतिक अधिकार नहीं है कि वह इस तरह के काम को स्पोर्ट करे और स्पोर्ट ही नहीं बल्कि इस तरह के लोगों को संरक्षण देने का काम करे ।

आप मंत्री नहीं थे । कोई गलती हो तो उसको बताने में आपको हिचक नहीं होनी चाहिए । देर आयद दुरुस्त आयद । यह कनवेंशन दस साल पहले पास हुआ था । 1970 में हुआ था । बारह साल के बाद हम उस पर डिसकशन कर रहे हैं । 12 साल के बिल लंबित रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है । जनता पार्टी को भी हम इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और हमारे जैसा आदमी प्रत्येक चीज के लिए जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं है । 8 साल तक आप रहे, आप इस बिल को नहीं लाये, जनता पार्टी की सरकार भी दो साल में नहीं लायी, दोनों ने गलत काम किया । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकारी तंत्र है, ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, जिनकी पैनी दृष्टि है क्या उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह की घटना घट सकती है ? और यदि नहीं सोचा तो क्या अपनी अदूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया ? इसलिए मंत्री जी को बताना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ ?

समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में मैंने सवाल पूछा था, आपके मंत्रालय ने जवाब दिया कि 11 लाख से ज्यादा सर्कुलेट होते हैं जिनमें से हिन्दी के समाचार-पत्र साढ़े 1 लाख होते हैं । इसलिए जहां से जो भाषा का पत्र निकले उसको सर्कुलेट करना चाहिए । मैं नहीं कहता अकेले हिन्दी ही का हो, अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, बंगला सभी भाषाओं के रखिये और समान रूप से उसको रखिये ताकि किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का मौका किसी को न मिले ।

---

18 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—CONTD.

Notification re: exemption from Custom duty on goods not produced in India and increase in the basic Custom duty on imported PVC resins

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri P. Venkatasubbaiah to lay a paper on behalf of Shri Janardhana Poojary.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, on behalf of Shri Janardhana Poojary I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(1) Notification Nos. 241/82-Customs and 242/82-Customs published in Gazette of India dated the 4th November, 1982 together with an explanatory memorandum regarding exemption to goods not produced or manufactured in India and on which the duty of customs leviable has been paid at the time of their importation in India and which are exported out of India for the execution of a contract approved by the Reserve Bank of India in connection with any commercial and industrial (including constructional) activites from payment of customs duty.

(2) Notification No. 243/82-Customs published in Gazette of India dated the 4th November, 1982 together with an explanatory memorandum regarding increase in the basic customs duty on imported PVC resins from 100 per cent *ad valorem* to 150 per cent *ad valorem.*

(Placed in Library. See No. LT-5628/82)

1802 hrs.

The Lok Sabha then adourned till Eleven of the Clock on Friday, the 5th November, 1982/14th Kartika, 1904 (Saka)